

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर


क्रमांक/अ.विप्रा./संस्था/प.1/2019-20/ 6791 दिनांक 3-7-19

--:: विज्ञप्ति ::--

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में राज्य सरकार से सेवानिवृत्त निम्न संविदा कार्मिकों की 1 वर्ष हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष तक या कार्मिक उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हों) एवं राज्य सरकार द्वारा नियत मासिक मानदेय राशि पर आवश्यकता है :-

क्र.सं.	पदों का नाम	पदों की आवश्यकता
1	वरिष्ठ सहायक	2
2	कनिष्ठ सहायक	2
3	सहायक कर्मचारी	2

उपरोक्त विज्ञप्ति राजस्थान सरकार कार्मिक (क.2) के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डी. ओ.पी./ए-11/94 जयपुर दिनांक 08.02.2019 के क्रम में नियमानुसार प्रशासनिक विभाग की अनुमति/अनुमोदन के अधीन होगी। इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को सेवानिवृत्त से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित विज्ञप्ति प्रकाशन के (07) दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


(इन्द्रजीत सिंह)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।